



2026:AHC:25324

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या – 1722 / 2026

झाम सिंह

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 2 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : हनुमान किंकर, ललित ओझा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री हनुमान किंकर तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अनुप कुमार को सुना गया।
2. रिट-याचिकाकर्ता की एकमात्र शिकायत यह है कि वह सुरक्षा प्रहरी के रूप में दैनिक वेतन के आधार पर कार्यरत है, लेकिन उसे न्यूनतम वेतनमान का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
3. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रिट-याचिकाकर्ता के दावे पर तृतीय प्रतिवादी, प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।
4. न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि रिट-याचिकाकर्ता रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ 20.01.2026 तक तृतीय प्रतिवादी, प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर के समक्ष एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। तत्पश्चात, तृतीय प्रतिवादी दो माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेंगे।

(विकास बुधवार, जे.)

5 फरवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"